रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

315] नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 1991/ज्येष्ठ 6, 1913
315] NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 1991/JYAISTHA 6, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 1991

का. आ. 356(अ) :—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के लिए निश्चित मामले, अर्थात, 21 मई, 1991 को भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त करती है

2 आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में जांच करेगा :—

(क) क्या श्री राजीव गांधी की हत्या को टाला जा सकता था और क्या उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किसी व्यक्ति की ओर से इस संबंध में कोई चूक या ड्यूटी की अवहेलना हुई थी ; और

(ख) सुरक्षा प्रणाली और व्यवस्था में, जैसा कि विहित है या व्यवहार में प्रचलित है, कमियां, यदि कोई हों, जिनके कारण यह हत्या हुई है।

3. आयोग ऐसे सुधार-विषयक उपायों और उपचारों की सिफारिश भी कर सकेगा जो उपरोक्त पैरा 2 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में भविष्य में किए जाने आवश्यक हैं।

4. आयोग अपनी रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार को यथाशीघ्र, किन्तु तीन मास के अपश्च प्रस्तुत करेगा।

5. यदि आयोग ठीक समझे तो वह उपरोक्त पैरा 2 में वर्णित विषयों में से किसी भी विषय पर अपनी अन्तरिम रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उक्त तारीख से पहले दे सकेगा

6. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

7. केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच के स्वरूप और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबंध उक्त आयोग को लागू किये जाएं और केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उस धारा की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबंध आयोग को लागू होंगे।

[सं. 1/12014/5/91 – आई. एस. (डी – II

आर. के. भार्गव, गृह सचि

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 1991

S. O. 356(E).—WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the assassination of Shri Rajiv Gandhi, former Prime Minister of India on the 21st May, 1991 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Justice Shri J. S. Verma, a sitting Judge of the Supreme Court of India.

2. The Commission shall make an inquiry with respect to the following matters :—

(a) whether the assassination of Shri Rajiv Gandhi could have been averted and whether there were lapses or dereliction of duty in this regard on the part of any of the individuals responsible for his security;

(b) the deficiencies, if any, in the security system and arranagements as prescribed or operated in practice which might have contributed to the assassination.

3. The Commission may also recommend the corrective remedies and measures which need to be taken in the future with respect to the matters specified in clause (b) of paragraph 2 above.

4. The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than three months.

5. The Commission may, if it deems fit, make interim reports to the Central Government before the said date on any of the matters mentioned in paragraph 2 above.

6. The headquarters of the Commission shall be at New Delhi.

7. The Central Government is of the opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the said Commission and the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, hereby directs that all the provisions of the said sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the Commission.

[No. I|12014|5|91-IS(D. III)]

R. K. BHARGAVA, Home Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991